राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक प.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 8046–8056 दिनांक 10/07/2024

आयुक्त,
नगर निगम,
समस्त राजस्थान।

विषयः—लम्बित RoW आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिकाओं के स्तर पर लम्बित RoW आवेदनों का समय पर निस्तारण नही होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी जतायी गई है। जिसके सम्बंध में आपको विभागीय पत्र क्रमांक 11183–11204 दिनांक 24.05.2023, 14520–14541 दिनांक 14.07.2023 7560–7581 दिनांक 21.08.2023, एवं 2674–2968 दिनांक 07.03.2024 द्वारा लम्बित RoW आवेदनों को निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आदिनांक तक इस सम्बंध में आप द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपसे सम्बधित लम्बित (RoW) आवेदनो को दिनांक 15.07.2024 से पूर्व निस्तारित कर विभाग को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावे।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(35)नियम / डीएलबी / 2021 / 8057–8061 दिनांकः– 10/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सिस्टम ऐनालिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Document certified by SURESH KUMAR OLA <suresholа5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Designation: Director
Date :09-07-2024 05:17:29
Raj. Ref. 8802353